

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

झारखण्ड राज्य सरकार

बेनाम

आदेश पत्रक ता0- 01/02/2025से

तक

जिला- बोकारो

केश सं0- 65/2024-25

मौला तुरी एवं अन्य

केश का प्रकार- झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण।

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
01/02/2025	राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक अंचल कार्यालय, गोमिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कढ़मा के खाता सं0-01, प्लॉट सं0-452, रकबा- 22.75 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसमें 1. भोला तुरी वगै, पिता- चरकु तुरी, 2. प्रेम तुरी, पिता- मोती तुरी, 3. महादेव महतो, पिता- स्व0 बोधन महतो, 4. स हरी महतो, पिता- स्व0 टोकन महतो, 5. दीपचंद महतो, पिता- स्व0 टोकन महतो, 6. चुरामन महतो, पिता- स्व0 मुची महतो, 7. सुकर महतो, पिता- स्व0 बैजा महतो, 8. बंधन महतो, पिता- चिताही महतो, 9. टहल महतो, पिता- बैजनाथ महतो, 10. मिही महतो, पिता- रमण महतो, 11. चांदो महतो, पिता- रमण महतो, 12. मूरत महतो, पिता- रमण महतो, 13. मोहन महतो, पिता- हरि महतो, 14. गुलाची महतो, पिता- स्व0 जीतन महतो, ग्राम- कढ़मा, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के द्वारा अनाधिकृत रूप से खेती-बाड़ी एवं गृह निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, जो झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(I)(e) के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि है। अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-24/02/25 को उपस्थापित करें। 1.2.25 अंचल अधिकारी, गोमिया	333 05/02/25 Notice

म. नं.

विषय :-

वि. वि. नं. १६५३/२०२५

१७७
०९/०२/२०२५
K.C.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
24.02.2025	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी द्वारा हाजिरी दिया गया। उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन के पश्चात् प्रथम दृष्टया यह अवैध जमाबंदी का मामला प्रतीत होता है। वर्णित परिस्थिति में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही प्रतिवादियों के विरुद्ध BLR Act, 1950 की धारा 4(h) की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन की माँग करें।  अंचल अधिकारी, गोमिया।